

17C.
1444
13-11-14



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर-452001

दिनांक : 3 NOV 2014

क्रमांक:स्था/2014/1651
प्रति,

- 1.समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक,
विश्वविद्यालय अध्ययनशाला,
- 2.चीफ वार्डन/वार्डन समस्त छात्रावास,
- 3.समस्त अधिकारी,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर

विषय : दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम लेने की अधिकतम आयु-सीमा का निर्धारण ।

संदर्भ : म.प्र.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल
के आदेश क्रमांक सी 5-1/2012/1/3 दिनांक 9.11.2012
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश (संलग्न) के तारतम्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम लेने की अधिकतम आयु-सीमा क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष निर्धारित हैं। अतः विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन/संविदा/अंशकालीन/प्रति घन्टे के आधार पर नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही कार्य लिया जा सकेगा । निर्धारित अधिकतम आयु पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी दैनिक वेतन भोगी/संविदा/अंशकालीन/प्रति घन्टे के आधार पर यदि कार्य लिया जाता है तो संबंधित विभागाध्यक्ष/चीफ वार्डन/अधिकारी उत्तरदायी होंगे ।

कृपया उक्त आदेश का परिपालन सुनिश्चित करें ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव,

संलग्न : उपरोक्तानुसार,

पृ.क्र.स्था/2014/1651

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
 2. वित्त-अधिकारी,लेखा विभाग
 3. विभागाध्यक्ष, आय.टी.सेंटर,विश्वविद्यालय वेबसाईट में अपलोड हेतु
 4. अंकेक्षण /रिकार्ड नस्ती,स्थापना विभाग
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

दिनांक: 3 NOV 2014

उप-कुलसचिव (स्था)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक सी 5-1/2012/1/3,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर, 2012

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. मन्त्रालय,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय:-दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम लेने की अधिकतम आयु-सीमा का निर्धारण।


—0—

राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्य विशेष के संपादन हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे जाते हैं। ऐसे कार्यों की निरंतरता के आधार पर ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबी अवधि तक कार्य पर रहते हैं, किन्तु इनसे अधिकतम किस आयु तक कार्य लिया जाना है, इसके कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं।

2/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम लेने की अधिकतम आयु-सीमा क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष निर्धारित की जाए अर्थात् राज्य शासन के समस्त विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से अधिकतम क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही कार्य लिया जा सकेगा।

3/ उक्त प्रावधान यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.के. गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

kiran2012/Doc

260



बेटी है तो कल है



पृष्ठा क्रमांक सी 5-1/2012/1/3,

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(आर.के. गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

